प्रकरण संख्या 15/2020 नादिर शाह बनाम वेलजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अथुरना, तहसील गढ़ी में वादी के कब्जे काश्त के खसरा नंबर 279 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, जिसके नये नंबर 1266 रकबा 0.13 हैक्टर एवं 1267 रकबा 0.13 हैक्टर हैं तथा खसरा नंबर 1275, 1276, 1344 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के नये नंबर 1696 रकबा 0.19 हैक्टर व 1275 के नये नंबर 1677 रकबा 0.06 हैक्टर है। उक्त समस्त आराजियात वादी की कृषि आराजियात से लगी हुई होकर वादी का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है, जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने दिनांक 07.12.2001 को खसरा नंबर 1266 रकबा 0.13 हैक्टर, 1267 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 0.26 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने खसरा नंबर 1696 रकबा 0.19 हैक्टर एकतरफा रूप से आवंटित करवा ली है, जबकि मौके उनका कब्जा नहीं है, न ही उन्होंने कब्जा प्राप्त किया है। कब्जा वादी का अपने पिता के समय से चला आ रहा है, लेकिन उक्त आराजियात प्रतिवादीगण को आवंटित हो जाने से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 7 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.02.2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.11.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 12.10.2020 को होने पर नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तनकी नंबर 1 को सिद्ध करने का भार अपीलान्ट/वादी पर था, जिसे वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से सिद्ध कराया है एवं वादी का कब्जा काश्त उनके पिता के समय से होना प्रमाणित है। इसी प्रकार अन्य तनकियों को भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलान्ट ने साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उनका विधिवत अवलोकन किये बिना अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में किये गये आवंटन को विधि विरूद्ध होना बताया है, किन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य उनके द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में किये गये आवंटन को को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार विवादित आराजियात उसकी आराजियात से लगती हुई होकर उसका कब्जा उसके पिता के समय से होने के आधार पर है, किन्तु विवादित आराजियात अपीलान्ट के खातेदारी भूमि से लगती हुई होने एवं उसका पुराना कब्जा होने के आधार पर उसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, क्योंकि नवीनतम काश्तकारी कानून में पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 36/2016 निर्णय एवं डिक्री 25.02.2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर